सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर सूचना

विभाग–जिला विकास अधिकारी,सीतापुर।

बिन्दु सं0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन, कार्यो तथा कर्तव्यों का विवरण।	इस संगठन एवं विभाग का कार्य विकास खण्ड के माध्यमों से ग्रामीण अंचलों के विकास काय सम्पन्न कराना है।
2	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्य।	अधिकारियों / कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधीन रहते हुये शासकीय कार्यो को सम्पादित करने का अधिकार प्राप्त है।
3	निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इसके अन्तर्गत पर्यवेक्षण और जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित है।	संस्था विकास विभाग का जनपदीय मुख्यालय है जहॉ मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी का कार्यालय स्थित है विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारियों पर नियन्त्रण किया जाता है समय–समय पर शासन द्वारा संचालित योजनाओं जो इन्ही अधिकारियों / कर्मचारियों के माध्यम से सम्पन्न करायी जाती है, का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण यह संस्था करती है इसका मुख्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ में स्थित है।
4	अपने कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाया जाने वाला मापदण्ड।	इस संस्था में जिला विकास अधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी का पद सृजित है जिसके नियन्त्रण में खण्ड विकास अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी / कार्यालय सहायक / पत्रवाहक / चौकीदार नियन्त्रण में रहकर विकास कार्य सुनिश्चित कराये जाते है।
5	अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त अपने नियन्त्रणाधीन नियमों, विनियमों, निर्देशो, निर्देशिकाओं तथा अभिलेखों।	संस्था द्वारा खण्ड विकास अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी / लिपिकीय वर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अभिलेख रखे जाते है तथा शासनादेश एवं नियमावली भी सुरक्षित रखी जाती है।
6	अपने द्वारा धारित या अपने अधीन अभिलेखों की कोटियों का विज्ञापन।	संस्था द्वारा अधिकारियों / कर्मचारियों के समस्त रखे जाते है जो समय–समय पर अवलोकन कर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
7	कोई प्रबन्ध जो कि परामर्श के लिए अस्तित्व में है, या जिसके द्वारा प्रत्यावेदन किया जाता है, वे लोग जो कि इसके नीति निर्धारण या प्रवर्तन में भाग लेंगे का विवरण।	इस संस्था द्वारा विकास कार्य करने के लिए विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत की बैठकों में जनप्रतिनिधियों की राय से कार्ययोजना बनाकर कार्य कराये जाते है।
8	बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से इसके भागरूप में गठित है या इसके सलाह के लिए, का विवरण और अन्य बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो लोंगों के लिए खोले गये है, या बैठकों की संक्षिप्त रिपोर्ट जो लोगों की पहुॅच के अधीन होगें का विवरण।	संस्था द्वारा जनपद स्तर पर शासी निकाय की बैठक एवं विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत की बैठकों जनप्रतिनिधियों से राय / मदद ली जाती है।
9	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका।	इस संस्था में समस्त अधिकारी / कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण के अधीन होकर कार्यवाही सुनिश्चित करते है व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

10	अपने प्रत्येक अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक इसके अन्तर्गत प्रतिकर का ढंग जो कि विनियमों द्वारा उपबन्धित है, भी सम्मिलित है।	जी हॉ, नियमावली के अनुसार संस्था में अधिकारियों/कर्मचारियों के आंकड़ें उपलब्ध रहते है तथा त्रैमासिक आकड़े आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0 को प्रेषित किये जाते है।
11	अपने प्रत्येक अभिकरणों का बजट जो उनसे सम्बन्धित है, जिसमे सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किये गये भुगतानों का विवरण।	इस संस्था को शासन स्तर से बजट प्राप्त होता है, जिसका समुचित उपयोग सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जाता है आहरण एवं वितरण की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध रहती है।
12	उपदान कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग, जिसके अन्तर्गत धन का विवरण तथा हिताधिकारियों का विवरण जो ऐसे कार्यक्रम से सम्बद्ध होंगे का विवरण।	संस्था में अनुदान बायोगैस संयन्त्र हेतु शासन द्वारा प्राप्त होता है जिसे विकास खण्ड कार्यालय को अनुदान धनराशि उपलब्ध कराकर ग्रामीण अंचलों में इच्छुक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त छूटों अधिकार पत्रों, अधिकृत्यों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।	आवश्यकतानुसार।
14	अपने द्वारा प्रदान की गयी सूचना या प्रदान न की गयी सूचना, इलेक्ट्रानिक प्रारूप में निबद्ध की गयी सूचना का विवरण।	संस्था द्वारा जनपद की सूचना संकलित कर प्रतिमाह शासन/संयुक्त विकास आयुक्त लखनऊ मण्डल–लखनऊ एवं आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 को प्रेषित की जाती है।
15	सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं, इसके अन्तर्गत पुस्तकालय के कार्य की अवधि या अध्ययन कक्ष, अगर लोगों के प्रयोग के लिए है का विवरण।	संस्था में कोई व्यवस्था नही है।
16	लोक सूचना अधिकारी का नाम पद तथा अन्य विवरण।	श्री माखन लाल गुप्ता, जिला विकास अधिकारी।
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय, और तद्नुसार इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अपडेट करेंगा।	शून्य।

जिला विकास अधिकारी,
सीतापुर।